न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 60/2021 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0–2021/168

1. रामचन्द्र आत्मज प्रभूलाल जाति काछी निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

——प्रार्थी.

बनाम

1. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड जरिये महाप्रबंधक एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कार्यान्वयन ईकाई ए–504 इन्दिरा बिहार कोटा –राज0
2. न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा–राज0

——अप्रार्थी.

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 73 (3) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. [illegible], अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1
3. श्री दिलदार सिंह, सह अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

निर्णय

दिनांक :– 27.10.2021

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 73 (3) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013के अन्तर्गतप्रस्तुत करसक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वाराराष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे निमार्ण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अन्य भूमियों के साथ ग्राम चेचट स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2099 की 0.74 है0, भूमि अवाप्ति के लिए पारित अधिनिर्णय दिनांक 22.03.2021 से तय मुआवजा राशि के भुगतान हेतु जारी नोटिस दिनांक 8.6.2021से असन्तुष्ट होकर दिनांक 22.7.2021 को प्रस्तुत किया है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से महेन्द्रा कुमारी का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है । उपस्थित वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि किया कि तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु प्रार्थी की ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी में स्थित भूमि ख0नं0 2099 की 0.74 हे0 में से 0.4727 हे0 भूमि अवाप्त की गई एवं उक्त भूमि की मुआवजा राशि 9,99,018/– प्रति हेक्टयर अर्थात 1,59,842.88 रूपये प्रति बीघा तय की गई । प्रार्थी की उक्त अवाप्त की गई भूमि सडक से 500 मीटर के अन्दर स्थित है जिसकी डी एल सी दर अवाप्ति की तिथि को 14,80,412/– प्रति हे0 अर्थात 2,36,865.92 रूपये प्रति बीघा है एवं उक्त दर से मुआवजा राशि तय की जानी चाहिये थी जो तय नहीं की गई है । इसी ख0नं0 2099 की पूर्व में 0.0390 हे0 भूमि अवाप्त की गई थी जिसकी मुआवजा राशि 2,36,865.02 रूपये प्रति बीघा की दर से दी गई है तो फिर इसी ख0नं0 2099 की शेष भूमि की मुआवजा राशि भी इसी दर से तय की जानी चाहिये थी । अतः अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के द्वारा पारित किये गये मुआवजा नोटिस /आदेश दिनांक 8.6.2021 को रिव्यू किया जाकर प्रार्थी को 14,80,412/– प्रति है0 अर्थात 2,36,865.92 रूपये प्रति बीघा की दर से गणना कर मुआवजा राशि दिलाये जाने क आदेश प्रदान किये जावें ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 1 ने अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि वाके ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन (भरतमाला) हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.4803(अ) दिनांक 31.12.2020 को जारी की जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दौ दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 10.01.2021 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि खसरा नम्बर 2099 की 0.4727 हे0 निजी किस्म चाही तृतीयरामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा पूर्ण जाति काछी सा0 देह खातेदार वाके ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा सम्मिलित है । जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मूल्य एवं निमार्ण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा

3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीसलसी दर के आधार पर की गई है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(एच)(1) के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया है । उक्त अवाप्त भूमि की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.10.2014 के अनुसार ग्रामीण क्षैत्र की स्थित की दशा में निकटतम शहरी क्षैत्र से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को निर्धारित गुणक से गुणा किया जाकर प्रतिकर का निर्धारण किया गया है । प्रतिकर का निर्धारण उप पंजीयक चेचट से प्राप्त डीएलसी के अनुसार भूमि की किस्म के अनुरूप ही किया गया है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें । प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है । अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है यदि अवाप्तशुदा भूमि को बिना विधिवत रूपान्तरित करवाये राजस्व रिकार्ड मं दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में लिया जा रहा है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है तथा ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में जो अवार्ड पारित किया गया था वह सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम चेचट के ख0नं0 2099 की 0.74 हे0 में से 0.4727 हे0, उक्त 8 लेन परियोजना (भारतमाला) में अवाप्ति हेतु एवार्ड पारित कर दिया गया । कृषि भूमि का मुआवजा अवार्ड दिनांक 22.03.2021 से प्रतिपक्षी नं0 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा वक्त अवाप्ति अधिसूचना 3ए की प्रचलित डीएलसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है । वकील प्रार्थी का मुख्य कथन है कि प्रार्थीगण की उक्त अवाप्त की गई भूमि सड़क से से 500 मीटर के अन्दर स्थित है जिसकी डी.एल.सी. दर अवाप्ति की तिथि को 14,80,412/– रूपये प्रति हैक्टयर अर्थात 2,36,865.92 रूपये प्रति बीघा है एवं उक्त दर से मुआवजा राशि तय की जानी चाहिये थी जो तय नहीं की गई है । प्रकरण के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो

जिला कलक्टर
कोटा

मुआवजा तय किया गया है वह RFCTLARR ACT 2013 के तहत ही तय किया गया है तथा प्रार्थी की अवाप्त भूमि का मुआवजा एनएच 12 व आबादी से 500 मीटर के अन्दर की डीएलसी दर से ही तय किया जाना अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है, फिर भी प्रार्थी के कथनों पर विचार करते हुए यदि प्रार्थी की भूमि सड़क एवं आबादी से 500 मीटर से अन्दर होने की स्थिति में भूमि का तय किया गया मुआवजे के सम्बन्ध में जांच हेतु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी प्रतिप्रेषित किया जाना उचित मानते है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि की मौके की जांच कराई जावें, यदि मौके की स्थिति अनुसार मुआवजा तय नहीं किया गया है तथा अवाप्त भूमि सड़क व आबादी से 500 मीटर के अन्दर दूरी पर स्थित होने की स्थिति में अवाप्त भूमि की अनुसार 3ए की अधिसूचना के समय की प्रचलित डी0एल0सी0 दर से मुआवजा तय किये जाने हेतु बाद जांच कार्यवाही की जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

27/10/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा